...य सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

वादी अंजर — बनाम — नारायण सिंह

मुकदमा — दावा — धारा 64 वा 1/2/3

आदेश - पत्र

दिनांक	आदेश
13/6/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पैरोकार अधिकारी कुमार/अन्य कोई ने बहस की। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो।
25/7/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पैरोकार ... अन्य कोई ने बहस की। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/7/24 को पेश हो।
26/7/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पैरोकार अधिकारी कुमार/अन्य कोई ने बहस की। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/7/24 को पेश हो।
25/7/24	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष ~~वकील प्रतिवादी संख्या~~ 1 श्री भोरे ले हाजिर पैरोकार अधिकारी कुमार/अन्य कोई ने बहस की। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ~~आवेदन बाबत बहस प्रस्ताव दिनांक 26.6.24 के विरुद्ध आपत्ति पेश किया~~ ~~वकील प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से~~ ~~अभाव आवेदन पेश किया गया~~ दिनांक 5/8/24 को पेश हो।
5/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी संख्या 1 के आवेदन बाबत बहस प्रस्ताव दिनांक 26.06.2024 के विरुद्ध आपत्ति पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस परिपालन किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, अभावेदी तथा तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित विचारार्थ प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07.06.2024 को न्यायालय द्वारा तहसीलदार सीकर के साथ मौके की जाँच की गई थी जो रिपोर्ट बनाई गई तथा विचारार्थ प्रस्ताव तहसीलदार सीकर द्वारा मौके पर जाकर पटवारी की उपस्थिति एवं सहमति से तैयार किया गया है। इसलिए आवेदन बाबत विचारार्थ प्रस्ताव दिनांक 26.06.2024 के विरुद्ध आपत्ति को न्यायालय खारिज किया जाना न्यायोचित समझता है। अतः आवेदन बाबत प्रस्ताव दिनांक 26.06.2024 के विरुद्ध आपत्ति को खारिज किया जाता है। वादी के निवेदन किया के विचारार्थ प्रस्ताव के अनुसार वाद की डिक्री किया जाना प्रार्थनीय है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार सीकर ~~अमीन~~ के पंचनामा दिनांक 27.07.2024

आदेश - पत्र

उपरोक्त दिनांक 26.06.2024 के आदेश के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित भूमि का ... किया जाना तय हुआ है। पत्रावली ... पर लगी। पत्रावली में उपस्थित तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार करके डिक्री किये जाने योग्य है।

उक्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवाद रूप में डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित विचारार्थ प्रस्ताव क्रमांक 96/2024/318 दिनांक 26.06.2024 निर्णय रूप में अंतिम डिक्री का भाग रहेगा। निर्णय पत्रावली से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता। अंतिम पर्ची डिक्री जारी हो। पत्रावली चौमासा शुमार होकर रखा से रूम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 5/8/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर